(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 8502-दो/ 2016 अपील - विरूद्व आदेश दिनांक 25-2-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल - प्र0क0 3 ब-90(3)2015-16

श्रीमती नीलम सिंह पुत्री शिवेन्द्र सिंह
निवासी धमनी कला, तहसील बुढ़ार
जिला शहडौल मध्य प्रदेश । --- अपीलांट

विरूद्व

1- म0प्र0शासन
2- कमल सिंह पत्नि स्व. भारतेन्दु सिंह
3- भवनीसिंह पुत्र स्व.भारतेन्दु सिंह
4- राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व.भारतेन्दु सिंह
5- गौरी सिंह पुत्री स्व. भारतेन्दु सिंह
दो लगायत पांच निवासी ग्राम खैरहा
तहसील बुढ़ार जिला शहडौल म0प्र0 --रिस्पा0

(अपीलांट के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(रिस्पा. क-2,3 के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(रिस्पा. क-4 के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(रिस्पा. क-5 के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 06 -2-2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 3 ब-90(3)2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-2-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 41 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि धारक भारतेन्दु सिंह पुत्र इन्द्र बहादुर सिंह

निवासी ग्राम खैरहा के पास मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम, 1960 के प्रावधानों में दी गई पात्रता से अधिक भूमि धारण करने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया किया गया । धारक भारतेन्दु सिंह को बचाव एंव सुनवाई का अवसर देकर कलेक्टर शहडौल ने आदेश दिनॉक 31-8-1965 पारित किया एंव 75.07 एकड़ धारक के स्वतः के द्वारा 29.20 एकड़ भूमि अन्य के नाम हस्तांतरण एंव 20.14 एकड़ भूमि बाग के लिये छोड़ते हुये कुल 124.41 एकड़ भूमि धारक के हित में मानकर शेष 152.20 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई। कलेक्टर शहडौल के आदेश दिनॉक 31-8-1965 के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रथम अपील हुई, जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 4-7-1966 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 10-10-1967 से निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 4-7-1966 निरस्त किया गया तथा प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तालाब, जंगल, एंव धारक द्वारा 30.11.1961 से 30.11.1963 के बीच विक्रय की गई भूमियों की पुनः जॉच की जाय तथा धारक को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित किया जाय।

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर से प्रत्यावर्तन में प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर शहडौल द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसी दरम्यान शहडौल जिला विभाजित होकर तीन जिलों में क्रमशः शहडौल, उमरिया, अनूपपुर में विभाजित हुआ। धारक की भूमि दो जिलों में स्थित होने के कारण अधिनियम की धारा 2 (ड) (3) के प्रावधानानुसार आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के विचार-क्षेत्र में होने से कार्यवाही प्रारंभ हुई, किन्तु शहडौल संभाग गठित होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल को हस्तांतरित होने पर धारक के मृत होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई की

गई तथा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3 ब-90 (3)2015-16 में सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 25-2-2016 पारित किया एंव निर्णीत किया कि अनावेदकों (अपर आयुक्त न्यायालय) के द्वारा अंतिम विवरणी के अनुसार धारण किये जाने वाली भूमियां जो आदेश में संलग्न अनुलग्न-अ पर ग्राम वार खसरा नंबर, रकबा व वर्तमान खातेदार का नाम दर्शित अनुसार धारकों के पक्ष में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार छोड़ी जा रही है। इसी प्रकार आदेश में संलग्न अनुलग्न-ब के अनुसार दर्शित ग्राम वार, खसरा नंबर, रकबा की भूमियों को मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में अतिशेष घोषित करते हुये मध्य प्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर , उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि स्वर्गीय भारतेन्दु सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह के पास मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम, 1960 लागू होने के दिनॉक को निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि थी जिसके कारण उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और जब भारतेन्दु सिंह को निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है स्वर्गीय भारतेन्दु सिंह ने अपने जीवनकाल में बचाव में विवरणी प्रस्तुत की है जिसकी जॉच एंव छानवीन उपरांत तथा स्वर्गीय भारतेन्दु सिंह को सुनवाई का समुचित अवसर देने के वाद सक्षम अधिकारी ने आदेश दिनांक 31-8-65 पारित किया है जिसके अनुसार 75.07 एकड़ धारक के स्वतः के द्वारा 29.20 एकड़ भूमि अन्य के नाम हस्तांतरण एंव 20.14 एकड़ भूमि बाग के लिये छोड़ते हुये कुल 124.41 एकड़ भूमि धारक के हित में मानते हुये

शेष 152.20 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई है। जैसाकि उपरोक्त पद दो में विवेचना की गई है कि प्रकरण राजस्व मण्डल ग्वालियर तक अपील में आया है एंव अपील प्रकरण कमांक 183, 184, 186/ 1966 में पारित आदेश दिनांक 10.10.1967 से सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु वापिस हुआ है। इसके वाद कमिश्नर, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 3 बी 90(3)/2008-2009 में आवेदकगण की पुनः सुनवाई हुई है एंव बचाव के अवसर भी दिये गये हैं किन्तु आवेदकगण धारित भूमि के सम्बन्ध में समुचित बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकें है जिसके कारण कमिश्नर, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 3 बी 90(3)/2008-2009 में पारित आदेश दिनांक 12-3-2010 से प्रकरण का निराकरण करते हुये पात्रतारनुसार भूमि छोड़कर अंतरिम विवरणी प्रकाशित कराई है। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने पुनः राजस्व मण्डल में अपील कमांक 510-तीन/2010 प्रस्तुत की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 22 मार्च, 2012 से प्रकरण इस आदेश के साथ निर्णीत हुआ है, आदेश की अंतिम 8 पक्तियॉ इस प्रकार हैं :-

" यह आदेश देने में आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रृटि नहीं की गई है और उनका आदेश न्यायिक एंव विधि सम्मत है। इस प्रकरण में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10-10-67 को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के पश्चात् 42 वर्षो तक प्रकरण में कोई कार्यवाही न होना राजस्व अधिकारियों की घोर उदासीनता एंव लापरवाही का प्रतीक है। अतः विद्वान आयुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण को सर्वोच्य प्रार्थमिकता देते हुये अतिशेष घोषित होने वाली भूमि को तत्काल अधिग्रहीत करें ताकि सीलिंग अधिनियम का जो मूल्य उद्वेश्य है वह पूर्ण हो सके। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील कमांक 510-तीन/2010 प्रस्तुत की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 22 मार्च, 2012 से कमिश्नर शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 3/बी-90(3)/2008-09 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-3-2010 (ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी करने वाला आदेश) को पुष्टिकृत किया है अर्थात राजस्व मण्डल

ग्वालियर के अपील कमांक 510-तीन/2010 में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च, 2012 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है जिसके कारण यह आदेश अंतिम है और वर्तमान स्थिति में Res-Judicata का है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22-3-12 के पालन में अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने हितबद्धों की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 3 ब-90(3)2015-16 में आदेश दिनांक 25-2-2016 पारित किया है तथा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनांक 25-2-16 Speaking order है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 3/बी-90(3)/20015-16 में पारित 25-2-16 विधिवत् पायेजाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर